RJPP, Vol. XXIII, No.I, Oct.24-Mar.25, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411
Impact Factor 8.858

संवैधानिक उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक विमर्श

डॉ0 प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, (राजनीति विज्ञान)
जे0एस0 हिन्दू (पी0 जी0) कॉलेज
अमरोहा
ईमेलः drpradeepkumar1410@gmail.com

सारांश

'विविधता में एकता' भारत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। देश को विरासत में प्राप्त सर्व धर्म समभाव, समृद्ध परंपराएँ एवं संस्कृतियाँ तथा रीति रिवाज अद्वितीय है। सह–अस्तित्व, सामासिक संस्कृति एवं सभी जीवन रूपों के प्रति सम्मान का भारतीय दर्शन आज के संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोकतांत्रिक राज्यवस्था के संचालन एवं पथ प्रदर्शक का आधार संविधान में निहित है। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में राज्य की भूमिका के संदर्भ में यह आवश्यक है कि संपत्ति और लाभों में विद्यमान विषमता के बावजूद सभी समुदायों विशेषकर अल्पसंख्यकों को न्याय, विकास और प्रगति के दृष्टिगत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं समान अवसर तक पहुँच सुनिश्चित हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गए है। संवैधानिक उपबंधों के दृष्टिगत इनके हितार्थ पूर्ववर्ती एवं अद्यतन मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाएँ गतिमान है।

मुख्य बिन्दु

अल्पसंख्यक अवधारणा, संवैधानिक उपबंध, सामाजिक सुरक्षा अवधारणा, सामाजिक सुरक्षा एवं राज्य की भूमिका और निष्कर्ष एवं भविष्य

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 16.02.2025
Approved: 20.03.2025

डॉ0 प्रदीप कुमार

संवैधानिक उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक विमर्श

RJPP Oct.24-Mar.25,
Vol. XXIII, No. I,
Article No. 11
Pg. 89-96

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no1

प्रस्तावना

भारत लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र है। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधता हमारी राजव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित लोकतंत्रतात्मक गणराज्य की स्थापना संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों के माध्यम से स्थापित करने की कल्पना की थी। वह भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या से पूर्णतया अवगत थे। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गंभीर, तर्कसंगत एवं सम्यक चर्चाएं हुई थी। अधिकांश सदस्य भविष्य में निर्मित समावेशी समाज के दृष्टिगत अल्पसंख्यकों में सुरक्षा तथा संविधान के प्रति निष्ठा का भाव बनाये रखने के लिए संविधान में उनके हितो के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कुछ विशिष्ट प्रावधान शामिल करना चाहते थे। संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गयी विशिष्टता का अर्थ है कि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में परस्पर घुल–मिल सके अर्थात राष्ट्र निर्माण एवं प्रगति के दृष्टिगत बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों के बीच तत्समय उपलब्ध अवरोध धीरे–धीरे कम होते जायें तथा भारत का परम्परावादी एवं नियम निष्ट समाज एक पूर्णतया समावेशी तथा गतिशील समाज बनकर राष्ट्रीय आदर्शो और आकांक्षाओं के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। लार्ड एक्टन के शब्दों में कोई देश वस्तुतः स्वतंत्र है, इसके निध ार्रण की सर्वथा विश्वस्थ कसौटी वहाँ अल्पसंख्यक वर्गो को प्राप्त सुरक्षा से है।[1]

स्वतंत्रता के समय भारत में मुस्लिम जनसंख्या 9 प्रतिशत थी। अद्यतन बढकर यह 15 प्रतिशत हो गयी है। लगभग 1.40 अरब की जनसंख्या में 18 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या है। पडोसी देश पाकिस्तान में सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वहाँ की जनसंख्या लगभग 24 करोड थी। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी 87 लाख है। इस अल्पसंख्यक आबादी में हिन्दू अल्पसंख्यक आबादी लगभग 1.9 प्रतिशत है। वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है एवं हिन्दू और ईसाई सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर भेद–भाव, हिंसा एवं उत्पीड़न का सामना करना पडता है। अद्यतन ब्रिटिश संसद में भी हिन्दू और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न का मुद्दा प्रमुखता से उठा है।[2]

दूसरे पडोसी देश बांग्लादेश में सन् 1971 में स्वतंत्रता के समय धार्मिक अल्पसंख्यक जनसंख्या 23.1 प्रतिशत थी। अद्यतन यह घटकर 8.98 प्रतिशत रह गई है। इसमें हिन्दू अल्पसंख्यक जनसंख्या 7.95 प्रतिशत है। यह कमी मुख्य रूप से हिन्दू आबादी के बडे पैमाने पर प्रवास के दृष्टिगत आयी है। सन् 2024 के अगस्त माह में बांग्लादेश में हुए हिंसक उपद्रव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के पद से 05 अगस्त को त्यागपत्र उपरान्त ही देश छोडकर भारत में शरण लेनी पडी थी। तत्समय वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न एवं हिंसक घटनाओं का सामना करना पडा था। अद्यतन भी बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय कट्टरपंथियों के सुपुर्द है।[3] 31 दिसम्बर 2014 अथवा उससे पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु बने नागरिकता (सशोधन) अधिनियम 2019 के कारण भी अल्पसंख्यक समुदाय चर्चा में बना रहा।[4] अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि कानून के जरिए किसी संस्थान की स्थापना किये जाने

के कारण उसका अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नही हो जाता है।[5] भारत में संवैधानिक उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन तथा संघ सरकार द्वारा इनके हितार्थ गतिमान लााभार्थी योजनाओं के दृष्टिगत भी अल्पसंख्यक विमर्श में बना रहता है। संविधान में अल्पसंख्यकों से संबन्धित संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन से पूर्व अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया जाना आवश्यक है।

अल्पसंख्यक अवधारणा

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को स्पष्ट रूप से परिभाषित नही किया गया है। यद्यपि अनेक अनुच्छेदों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में सामान्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय उन्हे माना जाता है, जो अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं धर्म की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से इन्ही विशेषताओं के दृष्टिगत अन्य व्यक्तियों अथवा समूह से संख्यात्मक रूप में कम है। इस अवध ाारणा की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल शिक्षा विधेयक 1957 मामले में निर्णय करते हुए की गयी। न्यायालय के निर्णयानुसार किसी राज्य में धर्म, भाषा या लिपि के आधार पर वर्गीकृत ऐसा समूह जिनकी जनसंख्या इन्ही मानकों पर राज्य की उपलब्ध जनसंख्या का 50 प्रतिशत से कम हो, अल्पसंख्यक समुदाय कहलाएगा।

सन् 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नही किया गया, यद्यपि इस अधिनियम की धारा 2(C) केन्द्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। इसी के दृष्टिगत केन्द्र सरकार ने सन् 1993 में 05 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। सन् 2014 में जैन समुदाय को भी इस सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

21वी सदी के दूसरे दशक उपरान्त भी अल्पसंख्यक अवधारणा पूर्ण रूप से परिभाषित नही हो पायी है। भारत में अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई एवं सिख कुल जनसंख्या के दर्षष्टिगत अवरोही क्रम में है। जम्मूकश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक है और वे इनके हितार्थ संघ सरकार की गतिमान योजनाओं के लाभार्थी है। वस्तुस्थिति यह है कि वहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक है। नागालैंड, मिजोरम एवं मेघालय में ईसाई बहुसंख्यक है और वे भी इसी तरह इनके हितार्थ संघ सरकार की गतिमान योजनाओं के लाभार्थी है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के अद्यतन कुछ प्रमुख निर्णय अनुच्छेद 30(1) के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है। टी.एम.ए.पाई. फाउण्डेशन वाद (2002) में उच्चतम न्यायालय की 07 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन के लिए संबन्धित अनुच्छेद 30(1) के प्रयोजन के लिए धार्मिक एवं. भाषायी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार आधार पर किया जाना चाहिए। वाल पाटिल वाद (2005) में उच्चतम न्यायालय की 05 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने टी. एम.ए.पाई. वाद में दिये गए निर्णय के दृष्टिगत कहा है कि अब से भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के निर्धारण की इकाई राज्य होगी। यद्यपि टी.एम.ए.पाई. के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी समुदाय को 'अल्पसंख्यक' के रूप में अधिसूचित करने की केन्द्र की शक्ति को सीमित नही किया गया है।

संवैधानिक उपबंधः– विविधता को बनाये रखने तथा अल्पसंख्यको में सुरक्षा की भावना का विकास करने के लिए संविधान में इनके लिए संवैधानिक प्रावधान किये गए है।

सामान्य प्रावधान :–

1. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्यवस्था है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।
2. अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था है कि किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर राज्य विभेद का प्रतिशेध करता है। 93वे संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में खण्ड (5) अन्तः स्थापित किया गया है। इसके अनुसार राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबन्धित उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15 में ही खण्ड (6) को 103वे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है। इसमे नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान है। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबन्धित उपबंध भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 15 के खण्ड (5) एवं (6) के प्रावधानों से अल्पसंख्यक संस्थाओं को मुक्त रखा गया है।[6]
3. अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि लोक नियोजन में संविधान में उल्लेखित अपवादों को छोडकर सभी नागरिको को अवसर की समता है, यद्यपि अनुच्छेद 16 (5) उपबंधित करता है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबन्धित कोई पदाधिकारी किसी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय का सदस्य हो सकता है।
4. अनुच्छेद 325 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिशेद्य की व्यवस्था है।

विशिष्ट प्रावधान :–

1. अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता लोकव्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रदत्त है। सिख धर्म के अंतर्गत कृपान धारण करना और लेकर चलना इस धर्म का अंग माना जाता है।
2. अनुच्छेद 26 के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी अनुभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, धर्म विषयक कार्यो के प्रबंधन, संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व और उस संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है।
3. अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर देने से स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।
4. अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिशेध किया गया है। इस अनुच्छेद के खण्ड (2) में व्यवस्था है कि किसी न्यास के अधीन स्थापित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही खण्ड (3) में राज्य

से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदत्त है।[7]

5. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गो के हितो के संरक्षण का विशेष उपबंध करता है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, बनाये रखने का अधिकार है। साथ ही राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नही किया जायेगा।[8]
6. अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय अपने विशेष धर्म, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने तथा अपनी लिपि के माध्यम से बच्चों के सर्वागीण विकास की शिक्षा देने का कार्य कर सकते है। अनुच्छेद 30 (1क) में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक वर्गो द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति के राज्य द्वारा अर्जन पर पर्याप्त मुआवजा की व्यवस्था है।

अनुच्छेद 30 (1) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग द्वारा केवल धर्म के आधार पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को विधिवत प्रक्रिया अनुपालन उपरान्त अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान किया जायेगा। अनुच्छेद 30 खण्ड (2) में राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।[9]

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान :–

1. अनु० 350 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अपना अभ्यावेदन देने का अधिकार प्राप्त है।
2. अनु० 350 (क) के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराये।
3. अनु० 350 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति भाषागत अल्पसंख्यक वर्गो के लिए संवैधानिक संरक्षणों के दृष्टिगत एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है।[10]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

यह आयोग केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत बनाया है। यह एक वैधानिक एवं स्वायत्य निकाय है। अद्यतन इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य सम्मिलित है। यद्यपि पूर्व में सन् 1978 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। आयोग का मुख्य कार्य संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विषयों से उत्पन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराना तथा उनके

निवारण के उपाय प्रस्तुत करना भी है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त है।[11]

सामाजिक सुरक्षा अवधारणा

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। इसका अर्थ है कि राज्य द्वारा समाज में व्यापत भेद–भाव, असमानता, असुरक्षा, संकट एवं अन्याय से प्रभावित अपने नागरिकों को संरक्षण एवं उपचार उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, मातृत्व एवं महामारी जैसे विषयों में राज्य द्वारा वैधानिक रूप से प्रदत्त सुरक्षात्मक रक्षोपाय एवं प्रबन्धन इसमे सम्मिलित है। व्यापक अर्थ में सामाजिक सुरक्षा लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा देश में व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों को दी जाने वाली सुविधा एवं अवसर है जो उनकी खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तक पहुँच सुनिश्चित करती है। दूसरे शब्दों में यह ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समूह है, जो समाज में व्याप्त गरीबी, असुरक्षा, अन्याय, उत्पीड़न और सम्पूर्ण जीवन चक्र के दौरान सामाजिक अलगाव एवं बहिष्कार को कम करने अथवा रोकने के लिए सतत् रूप से तैयार किए जाते है।

सामाजिक सुरक्षा अवधारणा के उद्देश्य एवं लक्ष्य अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनो हो सकते है। राज्य द्वारा अल्पकालिक लक्ष्य के अंतर्गत लोगो को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और संकट अर्थात प्राकृतिक आपदाओं, कोविड–19 जैसी महामारी अथवा आर्थिक मंदी के दृष्टिगत तात्कालिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। दीर्घकालिक लक्ष्यों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अवसर तक पहुँच, मानव संसाधन विकास एवं समावेशी विकास का उन्नयन तथा संवर्धन करना है।

सामाजिक सुरक्षा एवं राज्य की भूमिका

भारत में सामाजिक सुरक्षा की नीतियाँ एवं योजनाएँ इस तरह से बनायी और क्रियान्वित की जाती है कि हर विकासात्मक चरण में अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी नागरिको का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण हो सकें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उपलब्ध प्रावधान देश के प्रशासकों के लिए आचार सहिंता एवं कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को दिये गए ऐसे निर्देश है, जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक प्रावधानित है। मूल अधिकारों के दृष्टिगत राज्य की परिभाषा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है एवं सामाजिक सुरक्षा अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के दृष्टिगत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा हैं, जो अनुच्छेद 12 में है।

संसद और राज्य विधान मण्डल को अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समवर्ती सूची के तहत कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार समवर्ती सूची की प्रविष्ठि 20 ''आर्थिक एवं सामाजिक योजना'' के दृष्टिगत कानून बनाने का अधिकार है।[12] सर्वागीण विकास एवं समावेशी समाज के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम अद्यतन कार्यान्वित किये गए है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित मापदंड एवं वार्षिक आय के दृष्टिगत प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक तथा राष्ट्रीय–साधन–सह–मेधा छात्रवृति योजना सहित अन्य छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है। तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों के

संवर्धन एवं प्रोत्साहन स्वरूप अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा रियायती ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व में सन् 2005 में गठित सच्चर कमेटीं की रिपोर्ट की अनेंक सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम गतिमान है।

प्रधानमंत्री विकास संवर्धन के अंतर्गत अल्पसंख्यको की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं उन्नयन प्राथमिकताओं पर है।कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पारम्परिक शिल्प, कलारूपों तथा सांस्कृतिक प्रथाओं का संवर्धन इसके अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री ज्ञान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक केन्द्रित क्षेत्रों में बेहतर एवं उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा,सुविधाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा केन्द्र और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकताओं में है। अल्पसंख्यक समुदायों के युवकों के कौशल विकास हेतु नई मंजिल और नया सवेरा योजना है। सीखों और कमाओं योजना कौशल दक्षता हेतु अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस समुदाय हेतु संचालित है। पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने और उन्हे अधिक बच्चे पैदा करने हेतु जीओं पारसी जैसी अदभूत योजना संचालित है। साथ ही इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप विशिष्ट उपाय उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत करोडों लोगों को बैंकिग प्रणाली से जोडा गया है। अद्यतन वित्तीय सहायता अधिकांशतः प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) मोड के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जा रही है। सन् 1995 में शुरू की गई मध्याहन योजना, जिसे अब पीएम. पोषण योजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तक में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध है। 80 करोड से अधिक लोगो को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 01 जनवरी 2024 से अगले पाँच वर्षो तक खाद्य पोषण सुरक्षा के दृष्टिगत विस्तारित करना मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) दुनिया की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। अद्यतन इससे 70 वर्ष और उससें ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को पाँच लाख रूपयें तक का स्वास्थ्य कवर प्राप्त होगा। पीएम. आवास योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, अटल पेंशन योजना, जल जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य संबन्धित योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी पर्याप्त है। इन योजनाओं में मुस्लिम भागीदारी अपनी जनसंख्या के अनुपात में कही अधिक लाभार्थी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या 18 प्रतिशत है। पसमांदा समाज कुल मुस्लिम समुदाय का 70–80 प्रतिशत है। इस समाज में कुशल श्रमिक, कारीगर एवं शिल्पकार काफी संख्या में है। इन्हे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य संबन्धित योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में ऋण एवं उचित प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है। अद्यतन लाभार्थियो की संख्या 24 प्रतिशत है।[13]

निष्कर्ष एवं भविष्य

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक सामान्य एवं विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार एवं

राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त से अद्यतन तक अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिमान है। वर्तमान ही नही भविष्य के परिप्रेक्ष्य तथा अल्पकालिक ही नही बल्कि दीर्घकालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिगत उन्हे लाभार्थियो के रूप में रखा गया है।

किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ रहने वाले सभी वर्ग एवं समुदाय साथ–साथ विकास करें। समता ही संतुलन है। संतुलन ही सशक्तिकरण है। राष्ट्र निमार्ण एवं समावेशी विकास के दृष्टिगत यह सर्वविदित है कि एक पंख से भरी उड़ान कितनी ही ऊँची क्यों न हो, असंतुलित ही रहने वाली है। सम्बन्धों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्त्व ही समग्र रूप से सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण हेतु हमे समर्थ और सक्षम बना सकते है। वास्तव में भारतीय नागरिकों से इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा संविधान करता है। अमुतकाल के इस दौर में सन् 2047 तक विकसित भारत एवं समावेशी समाज के लक्ष्य के दृष्टिगत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास अपरिहार्य है।

सन्दर्भ

1. गाबा, ओ.पी., (2022) राजनीति–सिद्धान्त की रूपरेखा, नेशनल पेपर बैक्सः दरियागंज, दिल्ली, पृ० सं०–**351**.
2. दैनिक जागरण (05 दिसम्बर, 2024), मुरादाबाद संस्करण, पृ० सं०–**14**.
3. अमर उजाला (07 दिसम्बर, 2024), मुरादाबाद संस्करण, पृ० सं०–**1**.
4. अमर उजाला (10 अगस्त, 2024), मुरादाबाद संस्करण, पृ० सं०–**1**.
5. अमर उजाला (09 नवम्बर, 2024), मुरादाबाद संस्करण, पृ० सं०–**1**.
6. उपाध्याय, डॉ० जय जय राम, (2024), भारत का संविधान, सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, पृ० सं०–**6–7.**
7. धर, कुलदीप, (2010) भारत का संविधान, लॉ काटेज, दरभंगा कॉलोनी, प्रयागराज, पृ० सं०–**8.**
8. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायण, (2003), भारत का संविधान, सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, पृ० सं०–**291**.
9. काश्यप, सुभाष, हमारा संविधान (2021), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, पृ० सं०–**117.**
10. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायण, (2003), भारत का संविधान, सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, पृ० सं०–**597–598.**
11. लक्ष्मीकांत, एम०, (2024) भारत की राज्य व्यवस्था, मैकग्रा हिल, चेन्नई, पृ० सं०–**424–425.**
12. उपाध्याय, डॉ० जय जय राम, (2024), भारत का संविधान, सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, पृ० सं०–**329**.
13. अमर उजाला (02 मार्च, 2024), मुरादाबाद संस्करण, पृ० सं०–**14**.